भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4091

जिसका उत्तर 12 अगस्त, 2026 को दिया जाना है।

21 श्रावण, 1948 (शक)

डेटा प्रिंसिपल अधिकारों के संबंध में ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम

4091. श्री करण भूषण सिंहः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 13 नवम्बर, 2025 से भारतीय डाटा संरक्षण बोर्ड के कार्यकरण और 13 नवम्बर, 2026 से सहमति प्रबंधक पंजीकरण की तैयारी सहित डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण नियम, 2025 के चरणबद्ध कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) क्या 5.8 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) का संचालन करने वाले ग्राम स्तरीय उद्यमी जो नागरिकों के आधार, बैंकिंग और स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों का प्रतिदिन प्रक्रमण करते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत डाटा वैश्वासिक के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं और उनके अनुपालन दायित्व, यदि कोई हो, तो क्या हैं;

(ग) क्या सीएससी नेटवर्क के माध्यम से विशेषरूप से गोंडा जैसे आकांक्षी जिलों में डाटा स्वामी के अधिकारों सहमति, सुधारने, मिटाने और शिकायत निवारण के संबंध में एक ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तावित है; और

(घ) सीमित डिजिटल साक्षरता वाले ग्रामीण नागरिकों के लिए क्या स्थानीय/सरलीकृत शिकायत निवारण तंत्र, यदि कोई हो, तैयार किया जा रहा है क्योंकि गोंडा जैसे जिलों में अधिकांश सीएससी प्रयोक्ताओं की औपचारिक लिखित सहमति प्रक्रियाओं तक पहुंच नहीं है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(घ):** डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ("अधिनियम") डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए इस प्रकार प्रावधान करता है जो व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए व्यक्ति के अधिकारों और वैध उद्देश्यों के लिए ऐसे व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता दोनों को मान्यता देता है। 13 नवंबर, 2025 को अधिसूचित अधिनियम, और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 ("नियम") डेटा संरक्षण बोर्ड ("बोर्ड") की स्थापना सहित अठारह महीने की संक्रमण अवधि में इसके प्रावधानों के चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक समयरेखा प्रदान करते हैं। नियम निम्नलिखित कार्यान्वयन समयसीमा निर्दिष्ट करते हैं:

- चरण 1: भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना और संचालन
 - जैसा कि अधिसूचित किया गया है, बोर्ड एक अध्यक्ष और चार सदस्यों से बना है, जिन्हें एक खोज-सह-चयन समिति के माध्यम से नियुक्त किया जाना है। अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन *6 जून 2026 को* रोजगार समाचार में प्रकाशित किया गया था।
 - बोर्ड को डिजिटल तरीके से कार्य करना होगा।
- चरण 2 (एक वर्ष के भीतर): सहमति प्रबंधकों का पंजीकरण और कार्य
- चरण 3 (अठारह महीनों के भीतर): डेटा प्रत्ययी के लिए अनुपालन दायित्व, जिसमें डेटा प्रमुख अधिकार, सुरक्षा सुरक्षा उपाय और उल्लंघन अधिसूचना शामिल हैं।

डीपीडीपी अधिनियम के तहत, एक डेटा फिड्यूशियरी वह व्यक्ति है जो अकेले या दूसरों के साथ मिलकर व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के उद्देश्य और साधनों को निर्धारित करता है। एक डेटा न्यासीय, अधिनियम और नियमों के तहत लागू दायित्वों में शामिल होंगे, जब प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे:

- डेटा प्रोसेसर के साथ एक वैध अनुबंध होना
- 22 भारतीय भाषाओं में सुलभ वैध नोटिस प्रदान करना और जहां आवश्यक हो वहां सहमति प्राप्त करना;
- उचित सुरक्षा सुरक्षा उपायों को लागू करना;
- डेटा प्रिंसिपल अनुरोधों का जवाब देना;
- जहां लागू हो सुधार और इरेज़ करने की सुविधा;
- एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना और अपनी वेबसाइट या एप्लिकेशन पर नब्बे दिनों से अधिक की अवधि, जिसके भीतर शिकायतों का समाधान किया जाएगा, प्रमुखता से प्रकाशित करना।
- व्यक्तिगत डेटा उल्लंघनों की रिपोर्ट करना; तथा
- अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित अन्य दायित्वों का अनुपालन करना।

डेटा प्रोसेसर के मुख्य दायित्व (एक इकाई जो डेटा प्रत्ययी की ओर से व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करती है):

- केवल डेटा प्रत्ययी की ओर से डेटा संसाधित करना
- उचित सुरक्षा सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना
- डेटा प्रत्ययी के साथ प्रसंस्करण अनुबंध में निर्दिष्ट संविदात्मक और कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करना और डीपीडीपी अधिनियम के अनुपालन में सहयोग प्रदान करना

सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड अपने वीएलई के माध्यम से डिजिटल सेवाओं तक सहायता प्रदान करता है, जो विभिन्न सरकारी सेवाओं को समझने और उनका लाभ उठाने में नागरिकों की सहायता करते हैं। सीएससी वीएलई सेवाएं प्रदान करने के दौरान नागरिकों के किसी भी डेटा को एकत्र करने और संग्रहीत करने के लिए अधिकृत नहीं है। नागरिक सीएससी हेल्पडेस्क (14599), डिजिटल सेवा पोर्टल और राज्य/जिला सीएससी नेटवर्क के माध्यम से भी शिकायत निवारण सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

<u>जागरूकता कार्यक्रम:</u>

क्षमता निर्माण और जन जागरूकता डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की रणनीति के अभिन्न अंग हैं। आईटी सुरक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जबकि नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षा, सुरक्षित डिजिटल लेनदेन, डीपीडीपी अधिनियम के तहत उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों और डिजिटल सेवाओं के जिम्मेदार उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता माह, सुरक्षित इंटरनेट दिवस, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, विशेषज्ञ सत्रों और डिजिटल आउटरीच अभियानों सहित जन जागरूकता पहल की जाती हैं।

कानूनी, तकनीकी, संस्थागत और जागरूकता उपायों के संयुक्त कार्यान्वयन के माध्यम से, सरकार एक सुरक्षित, लचीला और भरोसेमंद डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है जो नागरिकों, व्यवसायों और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना के हितों की रक्षा करता है।
